

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर अदम हुक्म की जारी हुआ
15/07/2024	<p>अधिवक्ता प्रार्थीगण उप0 अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र बाबत् स्थगन का पेश किया, सा0मि0 किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से बहस एक पक्षीय सूनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि राजस्व मूल वाद सं0 52/2009 बअनवान प्रेम देवी बनाम उत्तमचन्द वगैरा श्रीमान के न्यायालय में पेश किया था, जिसके अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रा0पत्र का निर्णय दिनांक 28.04.2010 को करते हुए अप्रार्थीगण को रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किया गया था। प्रार्थीगण का राजस्व मूलवाद दिनांक 16.07.2024 को अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। जिसके पुनः रेस्टोर करवाने का प्रा0पत्र पेश किया जा चुका है। लेकिन स्थगन के अप्रभावी होने का फायदा उठाते हुए अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि को बेचान, हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं। यदि ऐसा करने में वे सफल होते हैं, तो प्रार्थीगण को अपूर्ण क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। लिहाजा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम धन्धेड़ी तह0 सोजत के ख0नं0 877, 878, 889, 891 कुल खसरा 04 की कृषि भूमि के रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा बेचान, हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थीगण आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 13/08/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">१५</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)</p> </div> <p>13/8/24</p> <p>वसुधाय उप. 1</p> <p>श्रीमती ल. 01 की मोरले अधिवक्ता श्री गोविन्दपुलाद देवे ने के.ग. पेश किया, सा.मि. 01 तथा श्रीमती ल. 02 ने श्री मोरले अधिवक्ता श्री समतल देवे ने के.ग. पेश किया, सा.मि. 01 पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में पेश करने के आदेश दिनांक 28/04/2010 को अधिवक्ता प्रार्थीगण ने पेश किया, बाबत् प्रकरण जरिये निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है कि सरहद मौजा ग्राम धन्धेड़ी तह0 सोजत के ख0नं0 877, 878, 889, 891 कुल खसरा 04 की कृषि भूमि के रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा बेचान, हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थीगण आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 13/08/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">१५ 500 Sojot</p>	

क. 01
प्रेम
र. 01

नीत
(पिकी)
15/07/2024